



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

18 AASHADH 1947 (S)

No. 329

RANCHI WEDNESDAY 9th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

9th July, 2025

Notification No.- 20/2024 – State Tax

S.O. No. 19, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2024.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to be effective from 8th October, 2024.
2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 36, in sub-rule (3), after the words “suppression of facts”, the words and figures “under section 74” shall be inserted.
2. In the said rules, in rule 46, with effect from 1st day of November, 2024,—
 - (a) after clause (s), the second proviso shall be omitted;
 - (b) in the third proviso, for the words “Provided also that in the case of”, the words “Provided further that in the case of” shall be substituted;

3. In the said rules, after rule 47, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of November, 2024, namely:-

“47A. Time limit for issuing tax invoice in cases where recipient is required to issue invoice.— Notwithstanding anything contained in rule 47, where an invoice referred to in rule 46 is required to be issued under clause (f) of sub-section (3) of section 31 by a registered person, who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, he shall issue the said invoice within a period of thirty days from the date of receipt of the said supply of goods or services, or both, as the case may be.”.

4. In the said rules, in rule 66, in sub-rule (1), after the word, letters and figure “FORM GSTR-7”, the words “, on or before the tenth day of the month succeeding the calendar month,” shall be inserted with effect from the 1st day of November, 2024.

5. In the said rules, in rule 86, in sub-rule (4B), in clause (b), the words, brackets and figures “in contravention of sub-rule (10) of rule 96,” shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 88B, in sub-rule (1), after the word and figures “or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted with effect from the 1st day of November, 2024.

7. In the said rules, in rule 88D, in sub-rule (3), after the words and figures “or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted with effect from the 1st day of November, 2024.

8. In the said rules, in rule 89,—

(a) in sub-rule (4),—

- (i) in clause (B), the words, brackets, figures and letters “other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both” shall be omitted;
- (ii) in clause (C), the words, brackets, figures and letters “, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub- rules (4A) or (4B) or both” shall be omitted;
- (iii) in clause (E), for the long line beginning with the word “excluding” and ending with the words “during the relevant period”, the words “excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies during the relevant period” shall be substituted;

(b) sub-rules (4A) and (4B) shall be omitted;

(c) in sub-rule (5), in the *Explanation*, in clause (a), the words, brackets, figures and letters “ other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both” shall be omitted.

9. In the said rules, in rule 96, sub-rule (10) shall be omitted.

10. In the said rules, in rule 96B, in sub-rule (1), for the words and figures “section 73 or 74” the words, figures and letters “section 73 or section 74 or section 74A” shall be substituted with effect from the 1st day of November, 2024.

11. In the said rules, in rule 121, for the words and figures “proceedings under section 73 or, as the case may be, section 74”, the words, figures and letter “proceedings under section 73 or section 74 or section 74A, as the case may be,” shall be substituted with effect from 1st day of November, 2024.

12. In the said rules, in rule 142 with effect from the 1st day of November, 2024,—

(a) in sub-rule (1),—

- (i) in clause (a), after the words and figures “or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted;
- (ii) in clause (b), after the words and figures “of section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-section (3) of section 74A” shall be inserted;

(b) in sub-rule(1A), after the words and figures “of section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-section (1) of section 74A” shall be inserted;

(c) in sub-rule (2), for the words, brackets and figures “or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of subsection (5) of section 74”, the words, brackets, figures and letters “or clause (i) of sub-section (8) of section 74A, as the case may be, or tax, interest and penalty in accordance with the provisions of subsection (5) of section 74 or clause (i) of sub-section (9) of section 74A” shall be substituted;

(d) in sub-rule (2B), after the words and figures “or section 74”, the words, figures and letter “or section 74A” shall be inserted;

(e) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under sub-section (8) of section 73 or under clause (ii) of sub-section (8) of section 74A, as the case may be, or tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 or under clause (ii) of sub-section (9) of section 74A, as the case may be, within the period specified therein, or where the person concerned makes payment of the amount referred to in sub-section (1) of section 129 within seven days of the notice issued under sub-section (3) of that Section but before the issuance of order under the said sub-section (3), he shall intimate the proper officer of such payment in FORM GST DRC-03 and the proper officer shall issue an intimation in FORM GST DRC-05 concluding the proceedings in respect of the said notice.”;

(f) in sub-rule (4), after the words and figures “of section 74”, the words, brackets, figures and letters “or sub-section (6) of section 74A” shall be inserted.

(g) in sub-rule (5), after the words and figures “or section 74”, the words, figure and letters “or section 74A” shall be inserted.

14. In the said rules, after rule 163, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of November, 2024, namely: -

“164. Procedure and conditions for closure of proceedings under section 128A in respect of demands issued under section 73.— (1) Any person who is eligible for waiver of interest, or penalty, or both in respect of a notice or a statement mentioned in clause (a) of sub-section (1) of section 128A, may file an application electronically in **FORM GST SPL-01** on the common portal, providing the details of the said notice or the statement, as the case may be, along with the details of the payments made in **FORM GST DRC-03** towards the tax demanded.

- (2) Any person who is eligible for waiver of interest, or penalty, or both, in respect of orders mentioned in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 128A, may file an application electronically in **FORM GST SPL 02** on the common portal, providing the details of the said order, along with the details of the payments made towards the tax demanded:

Provided that the payment towards such tax demanded shall be made only by crediting the amount in the electronic liability register against the debit entry created by the said order:

Provided further that if the payment towards such tax demanded has been made through **FORM GST DRC-03**, an application in **FORM GST DRC-03A**, as prescribed in sub-rule (2B) of rule 142, shall be filed by the said person for credit of the said amount in the Electronic Liability Register against the debit entry created for the said demand, before filing the application in **FORM GST SPL 02**.

- (3) Where the notice or statement or order mentioned in sub-section (1) of section 128A includes demand of tax, partially on account of erroneous refund and partially for other reasons, an application under sub-rule (1) or sub-rule (2) may be filed only after payment of the full amount of tax demanded in the said notice or statement or order, on or before the date notified under the said sub-section.
- (4) Where the notice or statement or order mentioned in sub-section (1) of section 128A includes demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for the period other than that mentioned in the said sub-section, an application under sub-rule (1) or sub-rule (2) may be filed only after payment of the full amount of tax demanded in the said notice or statement or order, on or before the date notified under the said sub-section.
- (5) The amount payable under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be the amount that remains payable, after deducting the amount not payable in accordance with sub-section (5) or sub-section (6) of section 16, from the amount payable in terms of the notice or statement or order under section 73, as the case may be.
- (6) Any person who wishes to file an application under sub-rule (1) or sub-rule (2), may do so within a period of three months from the date notified under sub-section (1) of section 128A:

Provided that where an application in **FORM GST SPL-02** is to be filed in cases referred to in the first proviso to sub-section (1) of section 128A, the time limit for filing the said application shall be six months from the date of communication of the order of the proper officer redetermining such tax under section 73.

- (7) The application under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be accompanied by documents evidencing withdrawal of appeal or writ petition, if any, filed before any Appellate Authority, or Tribunal or Court, as the case may be, to establish that the applicant is eligible for the waiver of interest or penalty or both, in terms of section 128A:

Provided that where the applicant has filed an application for withdrawal of an appeal or writ petition filed before the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, but the order for withdrawal has not been issued by the concerned authority till the date of filing of the application under sub-rule (1) or sub-rule (2), the applicant shall upload the copy of such application or document filed for withdrawal of the said appeal or writ petition along with the application under sub-rule (1) or sub-rule (2), and shall upload the copy of the order for withdrawal of the said appeal or writ petition on the common portal, within one month of the issuance of the said order for withdrawal by the concerned authority.

-
- (8) Where the proper officer is of the view that the application made in **FORM GST SPL-01** or **FORM GST SPL-02** is liable to be rejected as not being eligible for waiver of interest, or penalty, or both, as per section 128A, he shall issue a notice on the common portal to the applicant in **FORM GST SPL-03** within three months from the date of receipt of the said application and shall also give the applicant an opportunity of being heard.
- (9) On receiving the notice under sub-rule (8), the applicant may file a reply to the said notice on the common portal in **FORM GST SPL-04**, within a period of one month from the date of receipt of the said notice.
- (10) If the proper officer is satisfied that the applicant is eligible for waiver of interest and penalty as per section 128A, he shall issue an order in **FORM GST SPL-05** on the common portal accepting the said application and concluding the proceedings under section 128A.
- (11) In cases where the order in **FORM GST SPL-05** is issued by the proper officer under sub-rule (10).—
- (a) in respect of an application filed in **FORM GST SPL-01** pertaining to a notice or statement referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 128A, the summary of order in **FORM GST DRC-07** as per sub-rule (5) of rule 142 shall not be required to be issued by the proper officer, in respect of the said notice or statement;
 - (b) in respect of an application filed in **FORM GST SPL-02** pertaining to an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 128A, the liability created in the part II of Electronic Liability Register, shall be modified accordingly.
- (12) If the proper officer is not satisfied with the reply of the applicant, the proper officer shall issue an order in **FORM GST SPL-07** rejecting the said application.
- (13) (a) In cases where notice in **FORM GST SPL-03** has not been issued, the proper officer shall issue the order under sub-rule (10) within a period of three months from the date of receipt of the application in **FORM GST SPL-01** or **FORM GST SPL-02**, as the case may be.
- (b) In cases where notice in **FORM GST SPL-03** has been issued, the proper officer shall issue the order in sub-rule (10) or sub-rule (12) within a period of three months from the date of receipt of reply of the applicant in **FORM GST SPL-04**, or within a period of four months from the date of issuance of notice in **FORM GST SPL-03** where no reply is received from the applicant.
- Explanation.— For the purposes of this sub-rule, in cases referred to in the proviso to sub-rule (7), the time period from the date of filing of the application under sub-rule (1) or sub-rule (2) till the date of submission of the order for withdrawal of the appeal or the writ, as the case may be, shall not be included while calculating the time period under clause (a) or clause (b) of this sub-rule.
- (14) If no order is issued by the proper officer within the time limit specified in sub-rule (13), then the application in **FORM GST SPL-01** or **FORM GST SPL-02**, as the case may be, shall be deemed to be approved and the proceedings shall be deemed to be concluded.
- (15) (a) In cases where no appeal is filed against the order in **FORM GST SPL-07** within the time period specified in sub-section (1) of section 107, the original appeal, if any, filed by the applicant against the order mentioned in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 128A, and withdrawn for

filing the application in **FORM GST SPL-02** in accordance with sub-section (3) of section 128A, shall be restored.

- (b) In cases where an appeal is filed against the order in FORM GST SPL-07 for rejection of application for waiver of interest, or penalty, or both, if—
- (i) the appellate authority has held that the proper officer has wrongly rejected the application for waiver of interest, or penalty, or both, in **FORM GST SPL-07**, the said appellate authority shall pass an order in **FORM GST SPL-06** on the common portal accepting the said application and concluding the proceedings under section 128A; or
 - (ii) the appellate authority has held that the proper officer has rightly rejected the application for waiver of interest, or penalty, or both, in **FORM GST SPL-07**, the original appeal, if any, filed by the applicant against the order mentioned in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 128A, and withdrawn for filing the application in **FORM GST SPL-02** in accordance with sub-section (3) of section 128A, shall be restored, subject to condition that the applicant files an undertaking electronically on the portal in **FORM GST SPL-08**, within a period of three months from the date of issuance of the order by the appellate authority in **FORM GST APL-04**, that he has neither filed nor intends to file any appeal against the said order of the Appellate Authority.
- (16) In cases where the taxpayer is required to pay an additional amount of tax liability as per the second proviso to sub-section (1) of section 128A, and such additional payment is not made within the time limit specified in the said proviso, the waiver of interest, or penalty, or both, under the said section as per the order issued in FORM GST SPL-05 or FORM GST SPL-06, if any, shall become void.
- (17) In cases where the taxpayer is required to pay any amount of interest, or penalty, or both, in respect of any demand pertaining to erroneous refund or on account of demand pertaining to the period other than the period mentioned in sub-section (1) of section 128A, and the details of such amount have been mentioned in FORM GST SPL-05 or FORM GST SPL-06, the applicant shall pay the said amount of interest, or penalty, or both, within a period of three months from the date of issuance of the order in FORM GST SPL-05 or FORM GST SPL-06, as the case may be, and where the said amount is not paid within the said time period, the waiver of interest, or penalty, or both, under section 128A as per the order issued in FORM GST SPL-05 or FORM GST SPL-06, shall become void.

Explanation.— For the purposes of this rule, the proper officer for issuance of order under this rule,—

(a) in cases where the application for waiver of interest, or penalty, or both is made with respect to a notice or statement mentioned in clause (a) of sub-section (1) of section 128A, shall be the proper officer for issuance of order as per section 73; and

(b) in cases where the application for waiver of interest, or penalty, or both, is made with respect to an order mentioned in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 128A, shall be the proper officer referred to in section 79 of the Act.”.

15. In the said rules, for FORM GST REG-20, the following form shall be substituted, namely: -

"Form GST REG-20

[See rule 22(4)]

Reference No.- ZA260821000033A

Date: DD/MM/YYYY

To

<Taxpayer Name>

<Taxpayer Address>

GSTIN/ UIN: <GSTIN number>

Show Cause Notice No.: <SCN number>

Date: DD/MM/YYYY

Order for Dropping the Proceedings for Cancellation of Registration

This has reference to your reply filed vide ARN ----- dated in response to the show cause notice referred to above. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated for the following reasons:

<<text>>

Or

This is in reference to Notice issued in REG-31 vide Reference Number <SCN number> dated DD/MM/YYYY for contravention of provisions of rule 10A of the Jharkhand Goods Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

Since you have furnished the valid details of bank account on the common portal in the system, the proceedings initiated for cancellation of registration are hereby dropped.

Or

This is in reference to Notice issued in REG-31 vide Reference Number <SCN number> dated DD/MM/YYYY, for contravention of the provisions of clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Jharkhand Goods Services Tax Act, 2017 (12 of 2017). Since you have filed all the pending returns which were due on the date of issue of the aforesaid notice, and have made payment of self-assessed tax, the proceedings initiated for cancellation of registration are hereby dropped.

Suspension of the registration stands revoked with effect from DD/MM/YYYY

Signature

< Name of the Officer>

Designation

Jurisdiction Place:

Date:”.

16. In the said rules, in FORM GST REG-31, after paragraph 6, the following shall be inserted, namely: -

“OR

SUSPENSION DUE TO VIOLATION OF RULE 10A

1. It has been noticed that as per the provisions of rule 10A, requiring you to furnish the details of bank account within thirty days from the grant of registration, you have not furnished the valid details of bank account within thirty days from the date of grant of registration.

2. The discrepancies or anomalies *prima facie* indicate contravention of the provisions of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.

3. Considering that the above discrepancies or anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of rule 21A.

4. Accordingly, you are requested to furnish the valid details of bank account on the common portal or submit a reply to the jurisdictional tax officer within thirty days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy or anomaly or contravention. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.

5. The suspension of registration shall be lifted after you furnish the valid details of bank account on the common portal within stipulated time.

6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to furnish the valid details of bank account on the common portal within stipulated time or fail to furnish a reply within the stipulated time.

OR

1. It has been noticed that as per the provisions of rule 10A, requiring you to furnish the details of bank account within thirty days from the grant of registration. The information regarding bank account details furnished by you are not matching with the details available with bank.

2. These discrepancies or anomalies *prima facie* indicate contravention of the provisions of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017) and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.

3. Considering that the above discrepancies or anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of rule 21A.

4. Accordingly, you are requested to furnish the valid details of bank account on the common portal or submit a reply to the jurisdictional tax officer within thirty days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy or anomaly or contravention. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.

5. The suspension of registration shall be lifted after you furnish the valid details of bank account on the common portal within stipulated time.

6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to furnish the valid details of bank account on the common portal within stipulated time or fail to furnish a reply within the stipulated time.

OR

SUSPENSION DUE TO VIOLATION OF RULE 21

1. It has been noticed that as per the provisions of clause (h) or clause (i) of rule 21, requiring you to file return under sub-section (1) of section 39, have not furnished for a continuous period of six months or for a continuous period of two quarters.

2. These discrepancies or anomalies *prima facie* indicate contravention of the provisions of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017) and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.

3. Considering that the above discrepancies or anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of sub-rule (2A) of rule 21A.

4. Accordingly, you are requested to file return under sub-section (1) of section 39 on the common portal or submit a reply to the jurisdictional tax officer within thirty days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy or anomaly or contravention. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.

5. The suspension of registration shall be lifted after you file the returns under sub-section (1) of section 39 on the common portal.

6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to file returns under sub-section (1) of section 39 on the common portal within stipulated date or fail to furnish a reply within the stipulated time.”

17. In the said rules, in FORM GSTR-9, in the table, in Pt. III, in serial number 8, for serial number A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"A	ITC as per GSTR-2B (table 3 thereof)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>".
----	--------------------------------------	--------	--------	--------	----------

18. In the said rules, in FORM GST APL-01, with effect from the 1st day of November, 2024.—

(a) in entry number 15,—

- (i) in clause (a), in the Table, in the first column relating to "Particulars", in item (b) relating to "pre-deposit", for the brackets, letters, words and figures "(b) Pre- deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess or not exceeding Rs.50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)", the brackets, letters, words, and figures "(b) Pre- deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 20 crore each in respect of CGST, SGST, cess, and not exceeding Rs. 40 crore in respect of IGST)" shall be substituted;
- (ii) in clause (b), in the opening portion, for the brackets, words, figures and letters "(pre-deposit 10% of disputed tax and cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess or not exceeding Rs.50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)", the brackets, words, figures and letters "(pre- deposit 10% of disputed tax and cess but not exceeding Rs. 20 crore each in respect of CGST, SGST, cess, and not exceeding Rs. 40 crore in respect of IGST)" shall be substituted.

19. In the said rules, in FORM GST APL-05, with effect from the 1st day of November, 2024,—

(a) in entry number 14,—

- (i) in clause (a), in the Table, in the first column relating to "Particulars", in item (b) relating to "pre-deposit", for the brackets, letter, words and figures "(b) Pre- deposit (20% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 50 crore each in respect of CGST, SGST or cess or not exceeding Rs.100 crore in respect of IGST and Rs. 50 crore in respect of cess)", the brackets, letters, words and figures "(b) Pre- deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 20 crore each in respect of CGST, SGST, cess, and not exceeding Rs. 40 crore in respect of IGST)" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the opening portion, the following shall be substituted, namely: -

"(b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit of 10% of the disputed tax and cess but not exceeding Rs. 20 crore each in respect of CGST, SGST, cess and not exceeding Rs. 40 crore in respect of IGST."

20. In the said rules, in FORM GST INS-01, in paragraph (C), for the words and figures “section 179, 181, 191 and 418 of the Indian Penal Code”, the words, figures and brackets “section 214, 216, 227 and sub-section (3) of section 318 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)” shall be substituted.

21. In the said rules, in FORM GST DRC-01A, with effect from the 1st day of November, 2024, —

(a) in the heading, after the figures and brackets “73(5)/74(5)”, the figures, letters, and brackets “/74A (8)/ 74A (9)” shall be inserted;

(b) in PART A , —

(i) in the subject, after the words, figures and brackets “section 73(5)/section 74(5)”, the figures, letters and brackets “/74A (8)/ 74A(9)” shall be inserted;

(ii) in the first paragraph, after the words, figures and brackets “under section 73(5) / 74(5)”, the figures, letters and brackets “/74A (8)/ 74A(9)” shall be inserted;

(iii) after the fourth paragraph, the following shall be inserted, namely: —

“OR

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above along with the amount of applicable interest in full by, failing which Show Cause Notice will be issued under sub-section (1) of section 74A read with clause (i) of sub-section (5) of the said section.

OR

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above along with the amount of applicable interest and penalty in full by, failing which Show Cause Notice will be issued under sub-section (1) of Section 74A read with clause (ii) of sub-section (5) of the said section.”

(c) in PART B, in the first paragraph, after the words, figures and brackets “under section 73(5) / 74(5)”, the figures, letters and brackets “/74A (8)/ 74A (9)” shall be inserted.

22. In the said rules, after FORM SBY-06, the following forms shall be inserted with effect from the 1st day of November, 2024, namely: -

'FORM GST SPL – 01**[See rule 164(1)]****Application for waiver of interest or penalty or both under section 128A****in respect of a notice or a statement mentioned in clause (a) of sub-section (1) of the said section**

Reference No.

Date:

Table 1

S. No.	Particulars		
1	a	GSTIN/Temporary ID/UIN	
	b	Legal Name of the Business (As mentioned in PAN No.)	
	c	Mobile Number	
	d	Email Address	
	e	Address	
	f	Jurisdiction	

Table 2

2	S. No.	Details of the notice	
	1	Notice / Statement No	
	2	Date of issuance of notice/ statement	
	3	Section under which notice/ statement is issued	Drop down
	4	Whether any writ petition is filed against the notice/ statement before High Court/ Supreme Court	Drop down
	5	If Yes in '4', whether the order for withdrawal of writ petition is issued?	Drop down
	6	Whether notice/ statement involves demand of erroneous refunds	Drop down

Table 3 (Amount in Rs.)

3	Financial Year	Amount demanded in notice/ statement (A)							Out of amount mentioned in (A), demand pertaining only to ITC which has been denied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds, and which has now become eligible as per section 16(5) or section 16(6), if any. (B)				
		IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TOTAL												

Table 4

4	Amount paid through DRC -03					
	Payment Reference No.	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess
	1	2	3	4	5	6
		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
	TOTAL	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

Table 5

5	<u>Declaration:</u> 1. I undertake that, I have not filed any writ petition against the said notice/ statement. OR I undertake that though I had filed a writ petition against the said notice/ statement, I have withdrawn the said writ petition or filed an application for withdrawal of the same and have attached the copy of withdrawal order or the application filed for withdrawal, with this application. 2. Further, I understand and agree that no appeal shall be filed against the order concluding demand proceedings, issued under section 128A, in any forum in the future. 3. I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.
----------	---

Table 6

6	<u>Verification:</u> I _____ (name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render my application void and all benefits under Section 128A will be withdrawn.
----------	---

Table 7

7	Upload required documents	
	Self-certified copy of notice/ statement	
	Proof of payment made through FORM GST DRC 03	
	Proof of withdrawal of writ petition or application filed for withdrawal of writ petition (if the order for withdrawal has not been issued) (where applicable)	
	Any other document (please specify)	

Signature of authorised signatory

Name/Designation

Email address

Mobile No.

Instructions:

1. In entries 1 to 6 of Table 2, the details of the notice/ statement against which the application under section 128A is filed needs to be filled in by the applicant.
2. In case the notice/ statement is available on the common portal, Application Reference Nnumber of the same needs to be filled. If the same is not available on the portal, the reference number of the manually issued notice/ statement needs to be filled.
3. In entry 3 of Table 2, the applicant has to choose the option 'section 73' from the dropdown, if the notice/ statement is issued under section 73 at the first instance, and the option 'section 74 read with Section 75(2)' in case the notice was initially issued under section 74 and was later deemed to be issued under section 73, based on the order of the Appellate Authority/ Appellate Tribunal or Court as per section 75(2).
4. In Table 3A, columns 2 to 8 will be auto filled, in case the notice/ statement is available on the common portal. If the same is not available on the portal, the details of the same are to be manually filled by the applicant.
5. While calculating the amount deductible on account of not being payable in accordance with sub-section (5) or sub-section (6) of section 16, from the amount payable in terms of the notice or statement or order under section 73, as the case may be, applicant is required to ensure that such amount is deducted only where Input Tax Credit has been denied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds.

FORM GST SPL -02**[See rule 164(2)]**

Application for waiver of interest or penalty or both under section 128A, in respect of an order mentioned in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of the said section

Reference No.

Table 1

S. No.	Particulars		Remarks
1	a	GSTIN/Temporary ID/UIN	
	b	Legal Name of the Business (As mentioned in PAN No.)	<Auto>
	c	Mobile Number	<Auto>
	d	Email Address	<Auto>
	e	Address	<Auto>
	f	Jurisdiction	<Auto>

Table 2

2.	S.No.	Details of the demand order	
	1	Demand Order No	
	2	Date of issuance of order	
	3	Section under which order is issued	Drop down
	4	Whether any appeal or writ petition is filed against order before the Appellate Authority/ Appellate Tribunal/ High Court/ Supreme Court	Drop down
	5	If Yes in '4', whether the order for withdrawal of appeal or writ petition is issued ?	Drop down
	6	Whether demand order involves demand of erroneous refunds	Drop down

Table 3

(Amount in Rs.)

3	Financial Year	Amount demanded in the order (A)							Out of the amount mentioned in (A), demand pertaining only to ITC which has been denied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds, and which has now become eligible as per section 16(5) or section 16(6)				
									(B)				
		IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TOTAL												

Table 4

4	Amount paid through payment Facility against demand order mentioned in Table 3 [including those paid through FORM GST DRC-03 and later adjusted through filing an application in FORM GST DRC - 03A]							
	Credit entry Reference No.	Reference number of FORM GST DRC-03 (where applicable)	Reference number of FORM GST DRC-03A (where applicable)	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess
	1	2	3	4	5	6	7	8
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
	Total			<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

Table 5

5	<u>Declaration:</u> 1. I undertake that, I have not filed any appeal or writ petition against the said order. OR I undertake that though I had filed an appeal / writ petition against the said order, I have withdrawn the said appeal/ writ petition (or) I have filed an application for withdrawal of the same and have attached the copy of withdrawal order or the application filed for withdrawal, with this application. 2. Further, I understand and agree that no appeal shall be filed against the order concluding demand proceedings, issued under section 128A in any forum in the future. 3. I also undertake that on issue of an order concluding demand proceedings issued under section 128A, no writ shall be filed against the order mentioned in Table 2 of this form. 4. If an application is filed/ has been filed by the department against the order mentioned in Table 2 or if any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108 against the said order, and the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, issues an order enhancing my tax liability, I undertake to pay the additional amount of tax payable within three months from the date of the said order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, as per second proviso to sub-section (1) of section 128A. 5. I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.
----------	---

Table 6

6	<u>Verification:</u> I _____ (name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and the benefits provided under section 128A will not be valid.
----------	--

Table 7

7	Upload required documents	
	Self-certified copy of the order	
	Proof of withdrawal of appeal / writ petition or application filed for withdrawal of appeal/ writ petition (if the order for withdrawal has not been issued) (where applicable)	
	Proof of payment made towards demand / paid through FORM GST DRC-03 and adjusted through FORM GST DRC-03A.	
	Any other document (please specify)	

Signature of authorized signatory

Name/Designation.....

Email address.....

Mobile No.....

Instructions:

1. In columns 1 to 6 of Table 2, the details of the order against which the application under section 128A is filed needs to be filled in by the applicant.
2. In case the order is available on the common portal, ARN number of the same needs to be filled. If the same is not available on the portal, the order number of the manually issued order needs to be filled.
3. In Table 3, columns 2 to 8 will be auto filled, in case the order is available on the common portal. If the same is not available on the portal, the details of the same are to be manually filled in by the applicant.
4. Similarly, the reference number of the credit entry (made in ELR- Part II) needs to be filled in column 1 of Table 4. In case the payment intended to be made towards the said demand order was originally paid through FORM GST DRC-03, and later adjusted through filing an application in FORM GST DRC - 03A, the reference numbers of the same are to be filled in columns 2 and 3, and the rest of the columns will be auto-filled.
5. While calculating the amount deductible on account of not being payable in accordance with sub-section (5) or sub-section (6) of section 16, from the amount payable in terms of the notice or statement or order under section 73, as the case may be, applicant is required to ensure that such amount is deducted only where ITC has been enied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds.

FORM GST SPL -03**Notice in response to an application filed under Section 128A***[See rule 164(8)]*

Date:

Reference No.:

To

GSTIN of applicant

Legal Name of applicant

Address of applicant

Reference No. of FORM GST SPL -01 or FORM GST SPL -02 dated

Subject: Notice in response to application filed under section 128A-regarding

1. Whereas, you have submitted an application under section 128A, declaring your outstanding dues and seeking waiver of interest and penalty in the FORM GST SPL-01/ FORM GST SPL-02 bearing reference no.....dated
2. Upon verification of your application and the details provided therein, your application is liable to be rejected for the following reasons:
 - [Reason 1]
 - [Reason 2]

OR/ AND

In this regard, it appears that the amount of tax is short paid by you as given below:

Demand details (A)							Demand paid through FORM GST DRC 03 (in case of notice/ statement) or by crediting electronic liability register in case of orders					Out of amount mentioned in (A), demand pertaining only to ITC which has been denied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds, and which has now become eligible as per section 16(5) or section 16(6), if any.					Demand Short Paid				
Notice id/ Order id No.	Financial Period	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Drop down																				
	Drop down																				

3. You are hereby required to show cause, along with necessary documents in FORM GST SPL-04, to support your claim, as to why your application no..... dated should not be rejected.
4. You are also granted an opportunity for a personal hearing on [date and time] at [venue]. You may appear in person or through an authorized representative to present your case.

[Signature]

[Name of the Tax Officer]

[Designation]

[Jurisdiction]

[Address]

Upload Attachment

FORM GST SPL-04

[See rule 164(9)]

Reply to notice issued under rule 164(8)

Date:

Reference No:

To

Proper Officer

Jurisdiction

Legal Name of the applicant.....

Address of applicant

Reference No of FORM GST SPL-03: Dated

Subject: Reply to the notice issued in respect of application filed under section 128A.

Sir/Madam,

This is in reference to the notice issued in FORM GST SPL-03 *vide* no dated from your office.

The reply is as under:

Enclosures:

The following documents in respect of payment proof or additional submissions are enclosed for your reference:

- Document 1: [Taxpayer's Document 1]
- Document 2: [Taxpayer's Document 2]
- Document 3: [Taxpayer's Document 3]

Verification:

I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

[Signature of Authorised Signatory]
[Name of the of authorised signatory]
[Designation/Status]
[Date]

FORM GST SPL -05*[See rule 164 (10)]***Order for conclusion of proceedings as per section 128A**

Reference No.

Date:

To,

GSTIN of applicant

Legal Name of applicant

Address of applicant

Reference No. of FORM GST SPL-01/ FORM GST SPL-02 dated**Subject: Order for approval of application submitted under Section 128A**

This has reference to your application with reference no. dated furnishing details/ information and documents in support of your request for availing the benefit of waiver of interest or penalty or both under section 128A.

OR

This has reference to your application with reference no. dated , and your reply in FORM GST SPL-04 with reference no. dated furnishing details/ information/ submission and documents in support of your request for availing the benefit of waiver of interest or penalty or both under section 128A .

2. Upon verification of the details provided in your application and the reply, where applicable, waiver of interest or penalty or both under section 128A, is allowed as under:
3. Demand Notice/ Demand Order Details:
 - a. Order No/ Notice No.:
 - b. Date of order/ Notice:

Financial Year			Amount demanded in the notice/ statement/ order against which application under section 128A was filed (A)					Out of the amount mentioned in (A), demand pertaining only to ITC which has been denied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds, and which has now become eligible as per section 16(5) or section 16(6)					Amount already paid towards the said notice/ statement / order				Amount of interest and penalty waived as per section 128A		Remaining amount of interest and penalty, payable, if any, by the applicant (in cases referred to in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 164)		
	Place of Supply (PoS)	Act	Tax including cess	Interest	Penalty	Fee	Others	Tax including cess	Place of Supply (PoS)	Act	Tax including cess	Interest	Penalty	Fee	Others	Interest	Penalty	Interest	Penalty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		CGST								CGST											
		SGST								SGST											
		IGST								IGST											
		Cess								Cess											
	TOTAL								TOTAL												
		CGST								CGST											
		SGST								SGST											
		IGST								IGST											
		Cess								Cess											
	TOTAL									TOTAL											

[Signature]

[Name of the Tax Officer]

[Designation]

[Jurisdiction]

[Address]

Notes -

Any incorrect declaration or suppression of facts will render this approval void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.

FORM GST SPL -06*[See Rule 164 (15)(b)(i)]***Order for conclusion of proceedings as per section 128A**

Reference No.

Date:

To,

GSTIN of applicant

Legal Name of applicant

Address of applicant

Name of the authorised representative -

Reference No. of FORM GST SPL-01/ FORM GST SPL-02 dated**Reference No.** of FORM GST SPL-07 dated**Reference No.** of FORM GST APL-01 dated**Subject: Order for approval of application submitted under section 128A**

1. This has reference to your appeal with reference no. dated furnishing details/ information/ prayer and documents in support of your request for availing the benefit of waiver of interest or penalty or both under section 128A.
2. Upon verification of the details provided in your application and the reply, where applicable, waiver of interest or penalty or both under section 128A, is allowed as under:
3. Demand Notice/ Demand Order Details:
 - a. Order No/ Notice No.:
 - b. Date of order/ Notice:

Finan cial Year	Amount demanded in the notice/ statement/ order against which application under section 128A was filed (A)					Out of the amount mentioned in (A), demand pertaining only to ITC which has been denied solely on account of contravention of section 16(4) and not on any other grounds, and which has now become eligible as per section 16(5) or section 16(6)				Amount already paid towards the said notice/ statement / order					Amount of interest and penalty waived as per section 128A				Remaining amount of interest and penalty, payable, if any, by the applicant (in cases referred to in sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 164)	
	Place of Supply (PoS)	Act	Tax incl udi ng ces s	Inter est	Penal ty	Fe e	Oth ers	Tax includ ing cess	Place of Suppl y (PoS)	Ac t	Tax incl udi ng cess	Inter est	Pena lty	Fe e	Oth ers	Inter est	Pena lty	Inter est	Penalty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		CG ST								CG ST										
		SG ST								SG ST										
		IGS T								IGS T										
		Ces s								Ces s										
	TOTAL								TOTAL											
		CGST								CGST										
		SGST								SGST										
		IGST								IGST										
		Cess								Cess										
	TOTAL								TOTAL											

[Signature]

[Name of the Appellate Authority]

[Designation]

[Jurisdiction]

Notes -

Any incorrect declaration or suppression of facts will render this approval void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.

FORM GST SPL -07*[See rule 164(12)]***Order for Rejection of Application submitted under section 128A**

Reference No.

Date:**To,**

GSTIN of applicant

Legal Name of applicant

Address of applicant

Reference is invited to:

Particulars	Reference No.	Dated
Application in FORM GST SPL -01/ FORM GST SPL-02		
Show Cause Notice in FORM GST SPL -03:		
Reply to the Show Cause Notice in FORM GST SPL -04:		

Subject: Order for Rejection of Application submitted under section 128A

This has reference to your application with reference no. dated furnishing details/ information and documents in support of your request for availing the benefit of waiver of interest and penalty under section 128A. The notice referred to above was issued to you to explain the reasons as to why the said application should not be rejected, for which you had furnished reply dated/ no reply was furnished by you.

2. Introduction:

3. Submissions, if any:

4. Conclusion:

Based on the verification your application with reference no. dated filed under section 128A, is hereby rejected.

5. Summary of rejection:

Order id/ SCN id	Reason for rejection
	<Drop Down> Options in <Drop Down> 1. Full payment not made 2. Payment made after the date notified in Section 128A. 3. Notice/ Order pertaining to sections other than section 73. 4. Appeal/ writ petition filed before Appellate Authority/ Appellate Tribunal/ High Court/ Supreme Court not withdrawn 5. Others, please specify.

[Signature]

[Name of the Tax Officer]

[Designation].....

[Office Name]

[Contact Information].....

FORM GST SPL -08*[See rule 164(15)(b)(ii)]***Undertaking submitted under rule 164(15)(b)(ii)**

Date:

Reference No:

1. Legal Name of the applicant.....
2. Address of applicant
3. *GSTIN of the applicant:*
4. Reference No of FORM GST SPL-02: dated
5. Reference No of FORM GST SPL-07: dated
6. Reference No of FORM GST APL-04 passed with reference to FORM GST SPL-07 specified at serial number 5 above: dated
7. Reference number of appeal filed originally but subsequently withdrawn dated

Subject: Undertaking submitted in respect of Rule 164(15)(b)(ii).

Sir/Madam,

I hereby undertake not to file an appeal against the order of the appellate authority bearing reference number dated, as specified at serial number 6 above, and accordingly I pray for restoration of my appeal filed *vide* reference number dated as specified at serial number 7 above.

I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

[Signature of authorised signatory]

[Name of the of authorised signatory]

[Designation/Status]

[Date].”.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

(Ameet Kumar)

Commissioner,

Commercial taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 28, dated the 20th June, 2017 No. 3/2017-State Tax, dated the 20th June, 2017 and were last amended *vide* S.O. No12, dated the 9th July, 2025 No. 12/2024 - State Tax, dated the 9th July, 2025.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०.20/2024- राज्य कर

एस. ओ. सं. 19, दिनांक 9 जुलाई, 2025 - झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 है।
- (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 से लागू मानी जाएंगी।
2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 36 के उपनियम (3) में “जहां ऐसी मांग की पुष्टि” शब्दों के पश्चात् “धारा 74 के अधीन” शब्द और अंक, अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. 1 नवंबर, 2024 से उक्त नियमावली के नियम 46 में,-
 - (क) खंड (ध) के पश्चात् दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा;
 - (ख) तीसरे परंतुक में “परंतु यह कि माल और सेवा के निर्यात की दशा में” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह और कि माल और सेवा के निर्यात की दशा में” शब्द रखे जाएंगे;
4. उक्त नियमावली में नियम 47 के पश्चात् 1 नवंबर, 2024 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“47क. उस मामले में कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा जहां पानेवाले के लिए बीजक जारी करना अपेक्षित है,- नियम 47 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां नियम 46 में निर्दिष्ट बीजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, द्वारा धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन जारी किए जाने के लिए अपेक्षित है, वह यथास्थिति माल या सेवा या दोनों के उक्त प्रदाय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त बीजक जारी करेगा।”।
5. उक्त नियमावली में नियम 66 के उपनियम (1) में “प्ररूप जीएसटीआर-7” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पूर्व “कैलेण्डर मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पहले” शब्द 1 नवंबर, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमावली के नियम 86 के उपनियम (4ख) के खंड (ख) में “नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा।
7. उक्त नियमावली के नियम 88ख के उपनियम (1) में “या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द और अंक 1 नवंबर, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमावली के नियम 88घ के उपनियम (3) में “या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द और अंक 1 नवंबर, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमावली के नियम 89 में,-

(क) उपनियम (4) के,-

(i) खंड (आ) में, “उपभोग किए गए से भिन्न इनपुट कर प्रत्यय जिसका उपनियम (4क) या (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (इ) में, “जो उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापार वर्ग” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (उ) में, “के मूल्य का कुल योग” शब्दों से शुरू होने वाली और “सम्मिलित नहीं है” शब्दों पर समाप्त होने वाली वृहत्त पंक्ति के स्थान पर “के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य सम्मिलित नहीं है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4क) और उपनियम (4ख) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) के स्पष्टीकरण में, “जो उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापार वर्ग” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियमावली के नियम 96 में, उपनियम (10) का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियमावली के नियम 96ख के उपनियम (1) में “धारा 73 या धारा 74” शब्दों और अंकों के स्थान पर 1 नवंबर, 2024 से “धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

12. उक्त नियमावली के नियम 121 में “धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति” शब्दों और अंकों के स्थान पर 1 नवंबर, 2024 से “धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

13. उक्त नियमावली के नियम 142 में 1 नवंबर, 2024 से-

(क) उपनियम (1) में-

(i) खंड (क) में “या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खंड (ख) में “धारा 74 की” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (1अ) में, “धारा 74 की” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उपनियम (2) में “या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (i) या धारा 74 की उपधारा (5) या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (i) के अनुसरण में, यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(घ) उपनियम (2ख) में “या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ङ) उपनियम 3 के स्थान निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्-

“(3) जहां कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति यथास्थिति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (ii) के अधीन कर और ब्याज या यथास्थिति धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (ii) के अधीन यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति का उनमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करता है या जहां संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रकम का उस धारा की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के 7 दिन के भीतर किन्तु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी होने से पहले संदाय करता है, तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय को समुचित अधिकारी को संसूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाही का समापन करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में संसूचना जारी करेगा।”

(च) उपनियम (4) में “धारा 74 की” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क की उपधारा (6)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(छ) उपनियम (5) में “या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमावली के नियम 163 के पश्चात् 1 नवंबर, 2024 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“164. धारा 73 के अधीन जारी की गई मांगों के संबंध में धारा 128क के अधीन कार्यवाही को बंद करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें- (1) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित किसी सूचना या किसी कथन के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में किए गए संदायों के व्यौरों के साथ यथास्थिति उक्त सूचना या कथन का व्यौरा देते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2). कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित आदेशों के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध में किए गए संदायों के व्यौरों के साथ उक्त आदेश का व्यौरा देते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा :

परंतु ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय केवल उक्त आदेश द्वारा सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में रकम प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया है, तो प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन फाइल करने से पूर्व, नियम 142 के उपनियम (2ख) में यथाविहित प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में, ऐसे मांग किए

गए कर के संबंध में सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में उक्त रकम के प्रत्यय के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदन फाइल किया जाएगा।

(3). जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से गलत प्रतिदाय के कारण और आंशिक रूप से अन्य कारणों से कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

(4). जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से उक्त धारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त धारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अवधि के लिए कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

(5). उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन संदेय रकम वह रकम होगी, जो धारा 73 के अधीन यथास्थिति सूचना या कथन या आदेश के निबंधन में संदेय रकम में से उस रकम को घटाकर जो धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसरण में संदेय नहीं है, संदेय बनी रहती है।

(6). कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल करना चाहता है धारा 128क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है :

परंतु जहां धारा 128क की उपधारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में कोई आवेदन प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाइल किया जाना है, उक्त आवेदन को फाइल करने के लिए समय-सीमा धारा 73 के अधीन ऐसे कर का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास होगी।

(7). उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक धारा 128क के निबंधनों में कर या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, यथास्थिति, किसी अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील या रिट याचिका, यदि कोई हो, वापिस लेने के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज से संलग्न होगा :

परंतु जहां आवेदक ने यथास्थिति अपील प्राधिकारी या अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका को वापिस लेने के लिए कोई आवेदन फाइल किया है किंतु उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ उक्त अपील या रिट याचिका के वापिस लेने के लिए फाइल किए गए ऐसे आवेदन या दस्तावेज की प्रति अपलोड करेगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के लिए उक्त आदेश के जारी होने के एक मास के भीतर सामान्य पोर्टल पर उक्त अपील या रिट याचिका के वापसी के लिए आदेश की प्रति को अपलोड करेगा।

(8). जहां समुचित अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में किया गया आवेदन नामंजूर किये जाने के लिए दायी है क्योंकि धारा 128क के अनुसार ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र नहीं है, वह उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में आवेदक को सामान्य पोर्टल पर कोई सूचना जारी करेगा और आवेदक को सुनवाई किए जाने का अवसर भी प्रदान करेगा।

(9). उपनियम (8) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में सामान्य पोर्टल पर उक्त सूचना का उत्तर फाइल कर सकेगा।

(10). यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के लिए पात्र है, वह धारा 128क के अधीन उक्त आवेदन को स्वीकार करने और कार्यवाहियों का समापन करने के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी करेगा।

(11). ऐसे मामलों में जहां उपनियम (10) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी किया गया है-

(क) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी सूचना या कथन से संबंधित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, नियम 142 के उपनियम (5) के अनुसार प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में आदेश का सार उक्त सूचना या विवरण के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा;

(ख) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में सृजित दायित्व को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

(12). यदि समुचित अधिकारी आवेदक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, समुचित अधिकारी उक्त आवेदन को नामंजूर करते हुए प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश जारी करेगा।

(13). (क) ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना जारी नहीं की गई है, समुचित अधिकारी यथास्थिति प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) के अधीन आदेश जारी करेगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना जारी की गई है समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आवेदक के उत्तर की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या जहां आवेदक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना के जारी होने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) या उपनियम (12) में आदेश जारी करेगा।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए उपनियम (7) के परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति अपील या रिट की वापसी के लिए आदेश को प्रस्तुत करने की तारीख तक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के फाइल करने की तारीख से समयावधि को इस उपनियम के खंड (क) या खंड (ख) समय अवधि की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(14). यदि उपनियम (13) में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर समुचित अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तब यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन को स्वीकृत समझा जाएगा और कार्यवाही पूर्ण हुई मानी जाएगी।

(15). (क) ऐसे मामलों में जहां धारा 107 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा फाइल की गई मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में प्रस्तुत आवेदन को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश के विरुद्ध प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में अपील दाखिल की जाती है, यदि-

(i) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, उक्त अपीलीय प्राधिकारी उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और धारा 128क के अधीन कार्यवाही को समाप्त करते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश पारित करेगा; या

(ii) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा दाखिल मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करने के लिए वापस ले ली गई है, इस शर्त के अधीन प्रत्यावर्तित की जाएगी कि आवेदक प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-08 में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वचनबंध दाखिल करता है, कि उसने अपीलीय प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध न तो कोई अपील दाखिल की है और न ही दाखिल करने का इरादा रखता है।

(16) ऐसे मामलों में जहां करदाता से धारा 128क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर देयता की अतिरिक्त रकम का संदाय करना अपेक्षित है और ऐसा अतिरिक्त संदाय उक्त परंतुक में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, वहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट, यदि कोई हो, शून्य हो जाएगा।

(17) ऐसे मामलों में जहां करदाता से त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित किसी मांग के संबंध में या धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि से संबंधित मांग के कारण ब्याज, या शास्ति, या दोनों की कोई रकम का संदाय करना अपेक्षित है, और ऐसी रकम का विवरण प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में उल्लिखित किया गया है, आवेदक, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ब्याज, या शास्ति, या दोनों की उक्त रकम का संदाय करेगा, और जहां उक्त रकम उक्त समय अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अधीन ब्याज, या शास्ति, या दोनों का अधित्यजन शून्य हो जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी,-

(क) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित नोटिस या विवरण के संबंध में किया जाता है, धारा 73 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी होगा; और

(ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में किया जाता है, अधिनियम की धारा 79 में निर्दिष्ट समुचित अधिकारी होगा।"

15. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप जीएसटी आरईजी-20

[नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या- जेडए260821000033ए

तारीख: दिन/माह/वर्ष

सेवा में,

<करदाता का नाम>

<करदाता का पता>

जीएसटीआईएन/यूआईएन: <जीएसटीआईएनसंख्या>

कारण बताओ नोटिस संख्या: <एससीएनसंख्या>

तारीख: दिन/माह/वर्ष

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही बंद करने का आदेश

इसका संदर्भ ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के उत्तर में एआरएन ----- तारीख ----- द्वारा दाखिल आपके उत्तर से है। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही निम्नलिखित कारणों से निरस्त मानी जाती है:

<<टेकस्ट>>

या

यह झारखण्ड माल सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के नियम 10क के उपबंधों के उल्लंघन के लिए संदर्भ संख्या <एससीएनसंख्या>तारीखदिन/माह/वर्ष के द्वारा आरईजी-31 में जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में है।

चूंकि आपने प्रणाली में सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत किया है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है।

या

यह झारखण्ड माल सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए संदर्भ संख्या <एससीएन संख्या>तारीखदिन/माह/वर्षके द्वारा आरईजी-31 में जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में है। चूंकि आपने उक्त नोटिस जारी होने की तारीख को देय सभी लंबित विवरणी दाखिल कर दी हैं, तथा स्व-निर्धारित कर का संदाय कर दिया है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है।

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन तारीख/माह/वर्ष से निरस्त माना जाता है।

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता स्थान:

तारीख:”.

16. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में, पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“या

नियम 10क के उल्लंघन के कारण निलंबन

1. यह देखा गया है कि नियम 10क के उपबंधों के अनुसार, आपसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने से तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, आपने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
2. विसंगति या/विषमता प्रथम दृष्टया झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।
3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या/विषमता गंभीर हैं और राजस्व के हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क की निबंधनों में, इस सूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है।
4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या/विषमता या/उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके प्रत्यय पत्र का कोई भी संभावित दुरुपयोग भी विशेष रूप से क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।
5. आपके द्वारा नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का निलंबन समाप्त हो जाएगा।
6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

अथवा

1. यह देखा गया है कि नियम 10क के उपबंधों के अनुसार, आप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण की जानकारी बैंक के पास उपलब्ध विवरण से मेल नहीं खा रही है।
2. ये विसंगति या/विषमताएं प्रथम दृष्टया झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।
3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या/विषमता गंभीर हैं और राजस्व के हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क की निबंधनों में, इस संचार की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है।
4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या/विषमता या/उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके प्रत्यय पत्र का कोई भी संभावित दुरुपयोग भी विशेष रूप से क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।
5. नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का निलंबन समाप्त हो जाएगा।
6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

अथवा

नियम 21 के उल्लंघन के कारण निलंबन

1. यह देखा गया है कि नियम 21 के खंड (ज) या खंड (झ) के उपबंधों के अनुसार, जिसके अधीन आपसे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है, आपने लगातार छह महीने या लगातार दो तिमाहियों तक विवरणी दाखिल नहीं की है।
2. ये विसंगति या/विषमता प्रथम दृष्टया झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।
3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या/विषमता गंभीर हैं और राजस्व के हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क के उपनियम (2क) की निबंधनों में, इस सूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है।
4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त विसंगति या/विषमता या/उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके का कोई संभावित दुरुपयोग भी विशेष रूप से क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।
5. सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा।
6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत तारीख के भीतर सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

17. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-9 की सारणी के भाग III की क्रम संख्या 8 में, क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“क	जीएसटीआर-2ख के अनुसार आईटीसी (उसकी सारणी 3)	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>”।
----	--	-------	-------	-------	---------

18. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में 1 नवंबर, 2024 से,-

(क) प्रविष्टि संख्या 15 में,-

(i) खंड (क) की सारणी के "विशिष्टियां" से संबंधित पहले स्तंभ में, "पूर्व-जमा" से संबंधित मद (ख) में, "(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 10% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर प्रत्येक के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 10% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)" कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग में, “(विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर प्रत्येक के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)” कोष्ठक, अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “(विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)” कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में 1 नवंबर, 2024 से,—

(क) प्रविष्टि संख्या 14 में,—

(i) सारणी के खंड (क) के “विशिष्टियां” से संबंधित पहलेस्तंभ में, “पूर्व-जमा” से संबंधित मद (ख) में, “(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 20% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में प्रत्येक 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं या आईजीएसटी के संबंध में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)” कोष्ठक, अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर/उपकर का 10% लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर के संबंध में प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं)” कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) स्वीकृत रकम के संदाय और विवादित कर और उपकर के 10% की पूर्व जमा रकम का विवरण, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।”।

20. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 के पैरा (ग) में, “भारतीय दंड संहिता की धारा 179, 181, 191 और 418” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 214, 216, 227 और धारा 318 की उपधारा (3)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

21. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में, 1 नवंबर, 2024 से, —

(क) शीर्ष में, “73(5)/74(5)” अंकों और कोष्ठकों के पश्चात “/74क (8)/74क (9)” अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) भाग क में, —

(i) विषय वस्तु में, “धारा 73(5)/धारा 74(5)” अंकों, शब्द और कोष्ठकों के पश्चात “/74क(8)/74क(9)” अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पहले पैरा में, “धारा 73(5)/74(5) के अधीन” अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात “/74क (8)/74क(9)” अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) चौथे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"या

आपको सलाह दी जाती है कि ऊपर निर्धारित कर की रकम और उस पर लागू ब्याज की रकम का पूर्ण भुगतान तारीख तक करें, ऐसा न करने पर धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

या

आपको सलाह दी जाती है कि ऊपर निर्धारित कर की रकम और उस पर लागू ब्याज और शास्ति की रकम का पूर्ण भुगतान तारीख तक करें, ऐसा न करने पर धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।”।

(ग) भाग ख में, पहले पैरा में, “धारा 73(5)/74(5) के अधीन” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 73(5)/74(5)/74क(8)/74क(9) के अधीन” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

22. उक्त नियमावली में, प्ररूप एसबीवाई-06 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 1 नवंबर, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

‘प्ररूप जीएसटी एसपीएल - 01**[नियम 164(1) देखिए]**

धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित सूचना या कथन के संबंध में उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए आवेदन

संदर्भ सं०

तारीख :

.....

सारणी 1

क्र.सं.	विशिष्टियां		
1	क	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी /यूआईएन	
	ख	कारोबार का विधिक नाम (जैसा पैन नंबर में उल्लेखित है)	
	ग	मोबाइल नंबर	
	घ	ईमेल पता	
	ङ	पता	
	च	अधिकार क्षेत्र	

सारणी 2

2	क्र.सं.	सूचना के ब्यौरे	
	1	सूचना/ कथन संख्या	
	2	सूचना/ कथन जारी करने की तारीख	
	3	धारा, जिसके अधीन सूचना/ कथन जारी किया गया है	ड्रॉप डाउन
	4	क्या सूचना/ कथन के विरुद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका दायर की गई है	ड्रॉप डाउन
	5	यदि '4' में हां है, क्या रिट याचिका वापस लेने का आदेश जारी किया गया है?	ड्रॉप डाउन
	6	क्या सूचना/कथन में गलत रिफंड की मांग शामिल है	ड्रॉप डाउन

सारणी 3

(रकम रुपए में)

3	वित्तीय वर्ष	सूचना/ कथन में मांग की गई रकम (क)					(क) मैं उल्लिखित रकम मैं से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग, जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6), के अनुसार पात्र हो गई है।						
							(ख)						
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग												

सारणी 4

4	डीआरसी -03 के द्वारा भुगतान की गई रकम					
	भुगतान संदर्भ सं०	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6
		<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
		<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
	योग	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

सारणी 5

5	घोषणा:
	1. मैं वचन देता हूँ कि मैंने उक्त सूचना/कथन के विरुद्ध कोई रिट याचिका दायर नहीं की है । या मैं वचन देता हूँ कि यद्यपि मैंने उक्त सूचना/कथन के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी, मैंने उक्त रिट याचिका वापस ले ली है या उसे वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है तथा इस आवेदन के साथ वापसी आदेश या वापसी के लिए दायर आवेदन की प्रति संलग्न की है । 2. इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि धारा 128क के अधीन जारी, मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के विरुद्ध भविष्य में किसी भी फोरम में कोई अपील दायर नहीं की जाएगी । 3. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और सत्य है । मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन निरस्त हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति सहित बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाही हो सकती है ।

सारणी 6

6	सत्यापन: मैं _____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन निरस्त हो जाएगा और धारा 128क के अधीन सभी लाभ वापस ले लिए जाएँगे ।
---	---

सारणी 7

7	अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें	
	सूचना/कथन की स्वतः प्रमाणित प्रति	
	प्ररूप जीएसटी डीआरसी 03 के माध्यम से किए गए भुगतान का प्रमाण	
	रिट याचिका वापस लेने या रिट याचिका वापस लेने के लिए दायर आवेदन का प्रमाण (यदि वापसी का आदेश जारी नहीं किया गया है) (जहां लागू हो)	
	कोई अन्य दस्तावेज (कृपया निर्दिष्ट करें)	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम

ईमेल पता

मोबाइल नंबर

अनुदेश:

1. सारणी 2 की प्रविष्टि 1 से 6 में, आवेदक को उस सूचना/कथन का विवरण भरना होगा, जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन किया गया है ।
2. यदि सूचना/कथन सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उसका आवेदन संदर्भ क्रमांक भरना होगा । यदि पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है, तो मैन्युअल रूप से जारी की गई सूचना/कथन की संदर्भ संख्या भरनी होगी ।
3. सारणी 2 की प्रविष्टि 3 में, यदि सूचना/कथन प्रथमतः धारा 73 के अधीन जारी किया गया है, तो आवेदक को ड्रॉपडाउन से 'धारा 73' विकल्प चुनना होगा, तथा यदि सूचना प्रारंभ में धारा 74 के अधीन जारी की गई थी और बाद में धारा 75(2) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय के आदेश के आधार पर धारा 73 के अंतर्गत जारी मानी गई थी, तो उसे 'धारा 74 के सपठित धारा 75(2) 'विकल्प चुनना होगा ।
4. सारणी 3क में, यदि सूचना/कथन सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है तो स्तंभ 2 से स्तंभ 8 स्वतः भरे जाएंगे । यदि यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो इसका विवरण आवेदक द्वारा मैन्युअल रूप से भरा जाना है ।
5. धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार देय न होने के कारण कटौती योग्य राशि की गणना, धारा 73 के अधीन, सूचना या बयान या आदेश, यथास्थिति अनुसार देय राशि से करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी राशि केवल वहीं काटी जाए, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया हो, और न कि किसी अन्य आधार पर ।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02**[नियम 164(2) देखें]**

धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन

संदर्भ संख्या:

सारणी 1

क्र . सं.	विशिष्टियां		टिप्पणियां
1	क	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन	
	ख	कारोबार का विधिक नाम(जैसा कि पैन संख्या में उल्लिखित है)	<ऑटो>
	ग	मोबाइल नंबर	<ऑटो>
	घ	ईमेल पता	<ऑटो>
	ड	पता	<ऑटो>
	च	क्षेत्राधिकार	<ऑटो>

सारणी 2

2.	क्र.सं.	मांग आदेश के ब्यौरे	
	1	मांग आदेश संख्या	
	2	आदेश जारी करने की तारीख	
	3	धारा जिसके अधीन आदेश जारी किया गया है	ड्रॉप डाउन
	4	क्या अपीलीय प्राधिकारी /अपीलीय प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका फाइल की गई है	ड्रॉप डाउन
	5	यदि 4 'में हाँ, क्या अपील या रिट याचिका वापस लेने का आदेश जारी किया गया है?	ड्रॉप डाउन
	6	क्या मांग आदेश में गलत रिफंड की मांग शामिल है	ड्रॉप डाउन

सारणी 3

(रकम रु. में)

3	वित्तीय वर्ष	आदेश में मांगी गई रकम(क)						(क) में उल्लिखित रकम में से केवल आईटीसी से संबंधित मांग , जिसे केवल धारा16 (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर ,और जो अब धारा 16(5) या धारा16 (6) के अनुसार पात्र हो गई है। (ख)						
		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कुल													

सारणी 4

4

सारणी 3 में उल्लिखित मांग आदेश के विरुद्ध भुगतान सुविधा के माध्यम से संदत्त रकम [जिनमें प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संदत्त रकम और बाद में प्ररूप जीएसटी डीआरसी03 - क में आवेदन फाइल करने के माध्यम से समायोजित की गई रकम शामिल है]

प्रत्यय प्रविष्टि संदर्भ सं.	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का संदर्भ संख्या (जहां लागू हो)	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क का संदर्भ नंबर (जहां लागू हो)	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>
			<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>
कुल			<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>

सारणी 5

5 घोषणा:

1. मैं वचन देता हूँ कि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका फाइल नहीं की है।

या

मैं वचन देता हूँ कि यद्यपि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील/रिट याचिका फाइल की थी ,मैंने उक्त अपील/रिट याचिका वापस ले ली है (अथवा) मैंने उसे वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया है तथा इस आवेदन के साथ वापसी आदेश या वापसी के लिए फाइल आवेदन की प्रति संलग्न की है ।

2. इसके अतिरिक्त ,मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि भविष्य में किसी भी फोरम में धारा128 क के अधीन जारी मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी।

3. मैं यह भी वचन देता हूँ कि धारा128 क के अधीन जारी मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के जारी होने पर , इस प्ररूप की सारणी 2 में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध कोई रिट फाइल नहीं की जाएगी।

4. यदि सारणी 2 में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई आवेदन फाइल किया जाता है/फाइल किया गया है या यदि उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ,और अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकरण ,जैसा भी मामला हो ,मेरे कर दायित्व को बढ़ाने वाला आदेश जारी करता है ,तो मैं धारा128 क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार ,अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकरण ,जैसा भी मामला हो ,के उक्त आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर देय कर की अतिरिक्त रकम का भुगतान करने का वचन देता हूँ।

5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन निरस्त हो जाएगा और बकाया देय के साथ-साथ लागू ब्याज और शास्ति की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

सारणी 6

6 सत्यापन:

मैं _____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन निरस्त हो जाएगा और धारा 128क के अधीन दिए गए लाभ मान्य नहीं होंगे।

सारणी 7

7	आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें	
	आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति	
	अपील/रिट याचिका वापस लेने का प्रमाण या अपील/रिट याचिका वापस लेने के लिए संस्थित आवेदन (यदि वापसी का आदेश जारी नहीं किया गया है) (जहां लागू हो)	
	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से मांग/संदर्भ सहायता के लिए किए गए भुगतान का प्रमाण और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से समायोजित।	
	कोई अन्य दस्तावेज़ (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम.....

ई-मेल पता.....।

मोबाइल संख्या.....।

अनुदेश :

- सारणी 2 के स्तंभ क128 उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध धारा 6 से 1 के अधीन आवेदन फाइल किया गया है , आवेदक द्वारा भरा जाना आवश्यक है।
- यदि आदेश सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उसका एआरएन संख्या भरना होगा। यदि वह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो मैन्युअल रूप से जारी किए गए आदेश का आदेश नंबर भरना होगा।
- सारणी 3 में, स्तंभ 2 से 8 स्वतः भरे जाएंगे, यदि आदेश सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को इसका विवरण मैन्युअल रूप से भरना होगा।
- इसी तरह, प्रत्यय प्रविष्टि (ईएलआर- भाग II में की गई) की संदर्भ संख्या सारणी 4 के स्तंभ 1 में भरी जानी चाहिए। यदि उक्त मांग आदेश के लिए किया जाने वाला भुगतान मूल रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया था, और बाद में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में आवेदन फाइल करके समायोजित किया गया था, तो उसी के संदर्भ संख्या स्तंभ 2 और 3 में भरी जानी चाहिए, और शेष स्तंभ स्वतः भर दिए जाएंगे।
- धारा 73 के अधीन नोटिस या विवरण या आदेश के निबंधनों के अनुसार देय रकम से धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अनुसार देय न होने के कारण कटौती योग्य रकम की गणना करते समय, जैसा भी मामला हो, आवेदक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी रकम केवल तभी काटी जाए जब आईटीसी को केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो, न कि किसी अन्य आधार पर।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03

धारा 128क के अधीन फाइल किए गए आवेदन के उत्तर में नोटिस

[नियम 164(8) देखें]

तारीख:

संदर्भ सं.

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन

आवेदक का विधिक नाम

आवेदक का पता

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 का संदर्भ सं. तारीख..... .

विषय :धारा 128क के अधीन फाइल किए गए आवेदन के उत्तर में नोटिस-के संबंध में

1. जबकि, आपने धारा 128क के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आपने अपनी बकाया शोध्य घोषित की है और ब्याज और शास्ति का अधित्यजन, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में संदर्भ संख्या तारीख..... . में मांगा है।
2. आपके आवेदन और उसमें दिए गए विवरण के सत्यापन के पश्चात् आपका आवेदन निम्नलिखित कारणों से ,
:अस्वीकार किया जा सकता है
- [कारण 1]
- [कारण 2]

अथवा /और

इस संदर्भ में ,ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा नीचे दी गई कर की रकम कम संदत्त की गई है :

मांग विवरण (क)							प्ररूप जीएसटी डीआरसी 03 (नोटिस/कथन के मामले में) के माध्यम से मांग का भुगतान या आदेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर संदत करके मांग का भुगतान का विवरण					(क) में उल्लिखित रकम में से ,केवल आईटीसी से संबंधित मांग ,जिसे केवल धारा16 (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है ,किसी अन्य आधार पर नहीं ,और जो अब धारा 16(5) या धारा16 (6) ,यदि कोई हो ,के अनुसार पात्र हो गई है।					मांग कम संदत				
नोटिस आईडी/ आदेश आईडी नं.	वि तीय अव धि	आई जीएस टी	सीजी एसटी	एसजी एसटी	उप कर	उप कर स हित कुल कर	आई जीएस टी	सीजी एसटी	एसजी एसटी	उप कर	उप कर स हित कुल कर	आई जीएस टी	सीजी एसटी	एसजी एसटी	उप कर	उप कर स हित कुल कर	आई जीएस टी	सीजी एसटी	एसजी एसटी	उप कर	उप कर स हित कुल कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ड्रॉप डाउन																				
	ड्रॉप डाउन																				

3. आपसे अपने दावे के समर्थन में प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि आपका आवेदन संख्या तारीख को क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए।
4. आपको [स्थान.....] पर [तारीख और समय.....] को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है । आप अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

[हस्ताक्षर]

[कर अधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकार क्षेत्र]

[पता]

संलग्नक अपलोड करें

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04

[नियम 164(9) देखें]

नियम 164(8) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर

तारीख. :

संदर्भ संख्या :

सेवा में,

समुचित अधिकारी

अधिकार क्षेत्र

आवेदक का विधिक नाम

आवेदक का पता

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 की संदर्भ संख्या: तारीख... .

विषय : धारा 128क के अधीन फाइल आवेदन के संबंध में जारी नोटिस का उत्तर ।

महोदय/महोदया,

यह आपके कार्यालय से सं. तारीख..... द्वारा प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में जारी नोटिस के संदर्भ में है ।

उत्तर निम्नानुसार है :

संलग्नक:

भुगतान सबूत या अतिरिक्त प्रस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं:

- दस्तावेज 1: [करदाता दस्तावेज 1]
- दस्तावेज 2: [करदाता दस्तावेज 2]
- दस्तावेज 3: [करदाता दस्तावेज 3]

सत्यापन :

मैं _____ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

[प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर]

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम]

[पदनाम/स्थिति]

[तारीख]

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05

[नियम 164 (10) देखें]

धारा 128क के अनुसार कार्यवाही के समापन के लिए आदेश

संदर्भ सं.

तारीख :

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन

आवेदक का विधिक नाम

आवेदक का पता

संदर्भ सं. : प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 तारीख

विषय : धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन के लिए आदेश

धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह आपके संदर्भ संख्या तारीख के साथ आवेदन के संदर्भ में है ।

या

धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह आपके संदर्भ संख्या तारीख और संदर्भ संख्या के साथ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आपके उत्तर के संबंध में है ।

2. आपके आवेदन में दिए गए विवरण और उत्तर के सत्यापन पर, जहां लागू हो, ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट धारा 128क के अधीन निम्नानुसार अनुज्ञेय है :

3. मांग सूचना/मांग आदेश विवरण:

क. आदेश संख्या /नोटिस संख्या

ख. आदेश/नोटिस की तारीख :

वित्तीय वर्ष	नोटिस / कथन / आदेश में मांगी गई रकम जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन दायर किया गया था (क)			(क) में उल्लिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6) के अनुसार पात्र हो गई है।					उक्त नोटिस / विवरण / आदेश के लिए पहले से भुगतान की गई रकम		धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति जो माफ कर दिया गया				आवेदक द्वारा देय ब्याज और शास्ति की शेष रकम, यदि कोई हो, (नियम 164 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में संदर्भित मामलों में)				
	पूर्ति का स्थान (पीओ एस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	उपकर सहित कर	पूर्ति का स्थान (पीओ एस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	ब्याज	शास्ति	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										

हस्ताक्षर]

[कर अधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

[पता]

टिप्पण -किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह अनुमोदन निरस्त हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देय रकम की वसूली की कार्यवाही हो सकती है।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल -06

[नियम 164 (15)(ख) (i) देखें]

धारा 128क के अनुसार कार्यवाही के समापन के लिए आदेश

संदर्भ सं.

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन

आवेदक का विधिक नाम

आवेदक का पता

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम -

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 की संदर्भ संख्या तारीख

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 की संदर्भ संख्या तारीख

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 की संदर्भ संख्या तारीख

विषय: धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन के लिए आदेश

1. धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपकी अपील के समर्थन में विवरणके साथ आवेदन के तारीख जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह आपके संदर्भ संख्या संदर्भ में है ।
2. आपके आवेदन में दिए गए विवरण और उत्तर, जहां लागू हो, के सत्यापन पर धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट निम्नानुसार अनुज्ञात की जाती है :

3. मांग सूचना/मांग आदेश विवरण :

क.आदेश संख्या / सूचना संख्या :

ख.आदेश/नोटिस की तारीख:

वित्तीय वर्ष	नोटिस / कथन / आदेश में मांगी गई रकम जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन फाइल किया गया था (क)							(क) में उल्लिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6) के अनुसार पात्र हो गई है।				उक्त नोटिस / कथन / आदेश के लिए पहले से भुगतान की गई रकम				धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति की रकम माफ कर दी गई है		आवेदक द्वारा देय ब्याज और शास्ति की शेष रकम, यदि कोई हो, (नियम 164 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में संदर्भित मामलों में)	
	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	उपकर सहित कर	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	ब्याज	शास्ति	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		सीजीएस टी								सीजीएस टी									
		एसजीएस टी								एसजीएस टी									
		आईजीएस टी								आईजीएस टी									
		उपकर								उपकर									
	योग									योग									
		सीजीएस टी								सीजीएस टी									
		एसजीएस टी								एसजीएस टी									
		आईजीएस टी								आईजीएस टी									
		उपकर								उपकर									
	योग									योग									

[हस्ताक्षर]

[अपील प्राधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

टिप्पण -

किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह अनुमोदन निरस्त हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देय रकम की वसूली की कार्यवाही हो सकती है।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07

[नियम 164(12) देखें]

धारा 128 क के अधीन प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति के लिए आदेश

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन

आवेदक का विधिक नाम

आवेदक का पता

संदर्भ के लिए आमंत्रित किया जाता है:

विशिष्टियाँ	विनिर्देश सं.	तारीख
प्ररूप जीएसटी एसपीएल -01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल -02 में आवेदन		
प्ररूप जीएसटी एसपीएल -03 में कारण बताओ सूचना:		
कारण बताओ सूचना का प्ररूप जीएसटी एसपीएल -04 में उत्तर:		

विषय: धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्या..... तारीख..... तैयार विवरण/सूचना और धारा 128क के अधीन ब्याज और शास्ति से छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रति निर्देश है। ऊपर उल्लिखित सूचना आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि उक्त आवेदन को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए आपने तारीख.... का उत्तर प्रस्तुत किया था/आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

2. परिचय:

3. प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हो:

4. निष्कर्ष:

सत्यापन के आधार पर धारा 128क के अधीन फाइल किया गया संदर्भ संख्या तारीख..... के साथ आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

5. अस्वीकृति का सारांश:

आदेश संख्या/ नोटिस संख्या	अस्वीकृति का कारण
	<ड्राप डाउन> <ड्राप डाउन में राय > 1. पूर्ण भुगतान नहीं किया गया 2. धारा 128 क में अधिसूचित तारीख के बाद भुगतान किया गया। 3. धारा 73 के सिवाय अन्य धाराओं से संबंधित सूचना आदेश। 4. अपीलीय प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकरण /उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील/रिट याचिका वापस नहीं ली गई 5. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें।

[हस्ताक्षर]

[कर अधिकारी का नाम]

[पद नाम].....

[कार्यालय का नाम]

[संपर्क जानकारी].....

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-08

[नियम 164(15)(ख)(ii) देखें]

नियम 164(15)(ख)(ii) के अधीन प्रस्तुत वचनबद्धता

तारीख:

निर्देश सं.:

1. आवेदक का विधिक नाम
2. आवेदक का पता
3. आवेदक का जीएसटीआईएन:
4. प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 की संदर्भ संख्या: तारीख.....
5. प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 की संदर्भ संख्या: तारीख.....
6. उपरोक्त क्रम संख्या 5 पर निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी एसपीएल -07 के विनिर्देश में पारित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 की संदर्भ संख्या: तारीख.....
7. मूल रूप से फाइल की गई अपील लेकिन पश्चातवर्ती रूप से वापस ले ली गई संदर्भ संख्या..... तारीख

विषय: नियम 164 (15) (ख) (ii) के संबंध में प्रस्तुत वचनबद्धता।

महोदय/महोदया,

मैं ऊपर क्रम संख्या 6 में यथाविनिर्दिष्ट की संदर्भ संख्या तारीख..... वाले अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं करने का वचन देता हूँ और तदनुसार मैं ऊपर क्रम संख्या 7 में यथाविनिर्दिष्ट संदर्भ संख्या तारीख.....द्वारा फाइल की गई अपनी अपील को बहाल करने की प्रार्थना करता हूँ।

मैं..... सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम]

[पदनाम/प्रास्थिति]

[तारीख] ।”।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(अमीत कुमार)

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।

टिप्पण: मूल नियमावली झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28 - राज्य कर तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना एस. ओ. सं.12 - राज्य कर तारीख 9 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।
